डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री रिछपाल सिंह बुरड़क (आर0ए0एस0)

राजस्व अपील संख्या :– 122/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/272

उनवान

1. श्यामसुन्दर पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1. मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1 देवेन्द्र पुत्र मुरारीलाल
   1/2 देवेश पुत्र मुरारीलाल
   1/3 रचना पुत्री मुरारीलाल
   2. अर्जुन } पिस0 शंकरलाल शर्मा
   3. उमेश }
   4. रमा बेवा स्व0 शंकरलाल शर्मा
   5. गजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. सूरजमल

   जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....**वादीगण/असल रेस्पोडेन्ट**

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
7. नवनीतलाल } पिस0 रामनारायण जाति पंजाबी खत्री, निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. दिलबाग राम }
9. योगराज पुत्र हेमराज, जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई जिला भरतपुर।
10. रमेशचंद
11. पुष्करलाल
12. सुरेन्द्र कुमार
13. भारतभूषण

    पिस0 हेमराज जाति पंजाबी खत्री, निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. सीतादेवी पत्नी हेमराज (मृतक)
15. मनोहरलाल पुत्र टालाराम, जाति पंजाबी खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)
    15/1 तरुण कुमार पुत्र स्व. मनोहरलाल जाति पंजाबी खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. वीधाराम पुत्र टालाराम जाति पंजाबी खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
17. शकुन्तला पुत्री सूरजमल पत्नी राममोहन निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
18. लक्ष्मी पुत्री सूरजमल पत्नी वैध गोपाल शर्मा निवासी जगतपुरा जयपुर।
19. जसोदादेवी पुत्री सूरजमल पत्नी केशवदेव कटारा निवासी हाल सोडाला जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

20. कमलादेवी पुत्री सूरजमल (मृतक)

20/1 अरुणकान्त
20/2 विपिनकान्त
20/3 अजयकान्त
} निवासी गोहजा मौहल्ला, नगर तहसील नगर जिला डीग

20/4 कल्पना पुत्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी गोहजा मौहल्ला नगर तहसील नगर जिला डीग–(मृतक)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 115/12 बउनवानी मुरारीलाल बनाम परषोत्तम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2014 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर.टी.एक्ट

यह अपील .....19.....माह.....05.....सन्.....2026.....व ..... मिनजानिब अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल एड....., एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3, 2 लगायत 5, 17 लगायत 19 व 20/1 से 20/4 की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विवादित आराजी खसरा नम्बर 731/0.05, 998/0.61, 1005/0.27, 1007/0.25, 1014/0.04, 1809/0.18, 1811/0.16, 1812/0.01, 1813/0.18, 1814/0.29 कुल किता 10 रकबा 2.04 है0 वाके ग्राम कस्बा नदबई सं. 1 तहसील नदबई में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2014 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया था कि जगह अपीलान्ट 1/8 हिस्से का, रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3, 1/8 हिस्से का, रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 (1/8 हिस्से का), रेस्पोडेन्ट सं. 5 (1/8 हिस्से का), रेस्पोडेन्ट सं. 17 (1/8 हिस्से का), रेस्पोडेन्ट सं. 18 (1/8 हिस्से का), रेस्पोडेन्ट सं. 19 (1/8 हिस्से का) एवं रेस्पोडेन्ट सं. 20/1 से 20/4 (1/8 हिस्से का) खातेदार घोषित किए जाते हैं।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....19.....माह.....05.....सन्.....2026.....को जारी की गई।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 122/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/272

उनवान

1. श्यामसुन्दर पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1 देवेन्द्र पुत्र मुरारीलाल
   1/2 देवेश पुत्र मुरारीलाल
   1/3 रचना पुत्री मुरारीलाल
2. अर्जुन } पिस0 शंकरलाल शर्मा
3. उमेश }
4. रमा बेवा स्व0 शंकरलाल शर्मा
5. गजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. सूरजमल

जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....वादीगण/असल रेस्पोडेन्ट

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
7. नवनीतलाल } पिस0 रामनारायण जाति पंजाबी खत्री, निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. दिलबाग राम }
9. योगराज पुत्र हेमराज, जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई जिला भरतपुर।
10. रमेशचंद
11. पुष्करलाल
12. सुरेन्द्र कुमार
13. भारतभूषण

पिस0 हेमराज जाति पंजाबी खत्री, निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14. सीतादेवी पत्नी हेमराज (मृतक)
15. मनोहरलाल पुत्र टालाराम, जाति पंजाबी खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)
    15/1 तरुण कुमार पुत्र स्व. मनोहरलाल जाति पंजाबी खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. वीधाराम पुत्र टालाराम जाति पंजाबी खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
17. शकुन्तला पुत्री सूरजमल पत्नी राममोहन निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
18. लक्ष्मी पुत्री सूरजमल पत्नी वैध गोपाल शर्मा निवासी जगतपुरा जयपुर।
19. जसोदादेवी पुत्री सूरजमल पत्नी केशवदेव कटारा निवासी हाल सोडाला जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

20. कमलादेवी पुत्री सूरजमल (मृतक)

20/1 अरुणकान्त
20/2 विपिनकान्त
20/3 अजयकान्त
} निवासी गोहजा मौहल्ला, नगर तहसील नगर जिला डीग

20/4 कल्पना पुत्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी गोहजा मौहल्ला नगर तहसील नगर जिला डीग–(मृतक)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 115/12 बउनवानी मुरारीलाल बनाम परषोत्तम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2014 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3, 2 लगायत 5, 17 लगायत 19 व 20/1 से 20/4 श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 19.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 115/12 बउनवानी मुरारीलाल बगै. बनाम परसोत्तमलाल वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2014, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट. के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/असल रेस्पोडेन्ट द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अपीलान्ट्स इस आशय का पेश किया कि अपील मीमों में वर्णित विवादित आराजी वाके कस्बा नदबई प्रथम के वादीगण/असल रेस्पोडेन्ट काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त साबिक आराजी खसरा नम्बरान के पहले रामनारायन, जीवनदास, हेमराज, टालाराम, भगवानदास, सोमनाथ, पदमानन्द, पुरुषोत्तमलाल निवासी कस्बा नदबई काबिज खातेदार काश्तकार थे। जिन्हें उक्त रकबा काश्त के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। जिस पर उन्हें गैरखातेदार दर्ज कर दिया। उक्त व्यक्तियों द्वारा अपने हकूक खातेदारी को वादीगण/असल रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. सूरजमल बल्द पूरन प्रसाद ब्राह्मण निवासी कस्बा नदबई को दिनांक 16.01.1968 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कब्जा व दखल वादीगण असल रेस्पोडेन्ट के पिता को दे दिया तथा तभी से वादीगण के पिता काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। वादीगण/रेस्पोडेन्ट असल पिता की मृत्यु के बाद वादीगण बहिस्सा बराबर–बराबर रहकर विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं व अपीलान्ट को दूसरी जगह काबिज कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर दाखिला खारिज नहीं हुआ जिसका दिनांक 26.04.2011 का ज्ञान हुआ। विवादित आराजी आज भी प्रतिवादीगण के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गैरखातेदारी में दर्ज है। इसलिए वादीगण/रेस्पोडेन्ट असल ने दावा पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 के नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बहस सुनकर दिनांक 15.04.2014 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3, 2 लगायत 5, 17 लगायत 19 व 20/1 से 20/4 श्री सोनीराम शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट्स के पिता की खरीदशुदा आराजी थी जिसमें पिता के प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान का हक निहित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को अन्य जगह हिस्सा देने का कथन करने से उसे विरासत से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अब चूंकि सभी पक्षकारान में राजीनामा भी हो चुका है एवं सभी इस बाबत् सहमत हैं कि मृतक पिता के सभी वारिसान जिनके चार पुत्र एवं चार पुत्रियों को समान रुप में खातेदार घोषित किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 2588/1217/2 रकबा 6 बिस्वा, 2589/1217/3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 2590 / 1217 रकबा 0–2 बिस्वा, 1220 मिन रकबा 12 बिस्वा, 1221 रकबा 1 बीधा, 1225 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1226 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 1227/1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 2591/1229/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 2592 / 1229 रकबा 16 बिस्वा, 1224/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा. 613 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा वाके कस्बा नदबई, तहसील नदबई कि जिसके हाल खसरा नम्बर 731/0.05, 998/0.61, 1005/0.27, 1007/0.25, 1014/0.04, 1809/0.18, 1811/0.16, 1812/0.01, 1813/0.18. 1814/0.29 कुल किता 10 रकबा 2.04 हैक्टेयर वाके कस्बा नदबई सं० 1 तहसील नदबई जिला भरतपुर के खातेदार काश्तकार सूरजमल थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके सभी वारिसान को बराबर–बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इस हेतु दिनांक 13.02.2025 को अपीलान्ट श्यामसुन्दर एवं रेस्पोडेन्ट सं. सं. 1/1 से 1/3 एवं 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा एड. ने हस्ताक्षर कर राजीनामा भी पेश किया जा चुका है। साथ ही सूरजमल की चार पुत्रियां भी बराबर की हकदार होने से उनके नाम भी भूमि दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है इसलिए विधि सम्मत रुप से सूरजमल के सभी वारिसान को खातेदार घोषित किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2014 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 16.06.2014 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अब विवाद मृतक

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खातेदार सूरजमल के वारिसान को बराबर–बराबर खातेदार घोषित करने से सम्बन्धित होने से तनकी सं. 2 व 3 पर विचार किया जा रहा है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 व 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण ने विवादित आराजी को सूरजमल से विरासत में प्राप्त किया है और अपने नाम खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

तनकी सं. 3 :– आया वर्तमान इन्दाज विवादित भूमि गलत हैं व काबिल दुरूस्ती के हैं।

उक्त दोनों तनकीयों को सावित कराने का भार वादीगण पर था। विक्रय पत्र के आधार पर सूरजमल व उसकी मृत्यु पश्चात उसके चार पुत्र वारिसान विवादित आराजी के खातेदार हुए एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादीगण उक्त विवदित आराजी के खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। वर्तमान इन्द्राज भूमि उपरोक्तानुसार गलत दर्ज होना जाहिर होता है अतः काबिल दुरुस्ती स्पष्ट होते हैं। अतः तनकी सं० 2 व 3 व हक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 व 3 के संबंध में न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

सूरजमल की मृत्यु के पश्चात् उसके चार पुत्र एवं चार पुत्रियां विवादित आराजी के खातेदार घोषित होकर खातेदारी दर्ज करापाने के अधिकारी है। इसलिए वर्तमान इन्द्राज काबिल दुरुस्ती हैं। अतः तनकी सं. 2 एवं 3 उक्तानुसार निर्णित की जाती है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विवादित आराजी खसरा नम्बर 731/0.05, 998/0.61, 1005/0.27, 1007/0.25, 1014/0.04, 1809/0.18, 1811/0.16, 1812/0.01, 1813/0.18, 1814/0.29 कुल किता 10 रकबा 2.04 है0 वाके ग्राम कस्बा नदबई सं. 1 तहसील नदबई में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2014 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया था कि जगह अपीलान्ट 1/8 हिस्से का, रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3, 1/8 हिस्से का, रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 (1/8 हिस्से का), रेस्पोडेन्ट सं. 5 (1/8 हिस्से का), रेस्पोडेन्ट सं. 17 (1/8 हिस्से का), रेस्पोडेन्ट सं. 18 (1/8 हिस्से का), रेस्पोडेन्ट सं. 19 (1/8 हिस्से का) एवं रेस्पोडेन्ट सं. 20/1 से 20/4 (1/8 हिस्से का) खातेदार घोषित किए जाते हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर